GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. *110
TO BE ANSWERED ON 11.02.2021

E-WASTE MANAGEMENT

***110. SHRI DINESH TRIVEDI**:

Will the Minister of Electronics and Information Technology be pleased to state:-

(a) whether Government is aware that a majority of India's e-waste is recycled in the informal sector;

(b) the steps undertaken by Government to ensure the safety of e-waste workers;

(c) the steps undertaken by Government to develop solutions for e-waste management; and

(d) whether Government has invested in developing product design that is not hazardous?

ANSWER

MINISTER OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY
(SHRI RAVI SHANKAR PRASAD)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO.*110 FOR 11.02.2021 REGARDING "E-WASTE MANAGEMENT"

\.........

(a): The subject matter pertains to Ministry of Environment and Forests and Climate Change (MoEF&CC). The management of E-Waste is regulated under the framework of E-Waste (Management) Rules, 2016 and amendments there off. The Rules are effective from 01-10-2016. Central Pollution Control Board (CPCB) and State Pollution Control Boards (SPCBs)/Pollution Control Committees (PCCs) are the regulators.

Government is alive to the fact that the recycling of E-Waste is carried out in informal sector, which is illegal and a criminal offence. CPCB has time to time advised SPCBs/PCCs to carry out regular drives for checking E-Waste processing in informal sector and reports are obtained quarterly. Actions, such as, constitution of teams for carrying out drives, issuing of notices, closure of operation, seizing the E-Waste against the informal processing are being taken by the SPCBs/PCCs. Seventeen SPCBs/ PCCs have started the drive during FY 2020-2021 (till second quarter), where twelve have reported that no activities were found during this period and five have taken action against the offenders. Details are given at **Annexure – I**.

(b): The E-Waste (Management) Rules, 2016 sub rule 12 (2) provides for recognition and registration of workers and their skill development. It also provides for monitoring and ensuring safety and health of workers involved in dismantling and recycling of E-Waste.

Under Awareness Programme on Environmental Hazards of E-Waste, a specific training manual (available at www.greene.gov.in) for informal sector has been developed, which includes safety of E-Waste workers. A number of trainings have been organized for E-Waste workers across the country with CPCB/SPCB.

(c): The management of E-Waste under the Rules is primarily based on the principle of Extended Producer Responsibility (EPR). Under EPR, the producers of Electrical and Electronic Equipment (EEE) listed in the Schedule-I of the said rules have been given annual collection targets based on generation and sales, as the case may be, and have to manage their E-Waste in an environmentally sound manner through their authorized entities only, such as Recyclers/ Dismantlers/ Producers Responsibility Organizations (PROs) as the case may be. So far, 1678 Producers have obtained EPR Authorization. 44 PROs have obtained registration. 407 dismantlers/recyclers of E-Waste have authorization and their annual processing capacity is 110103.22 tonne.

For enforcement of the E-Waste (management) rules, 2016 in the country, an Action Plan is in place and the same is being implemented by all SPCBs/PCCs in their respective states/UTs. SPCBs/PCCs are submitting quarterly progress report as envisaged in the Action Plan through a web portal made operational for this purpose.

Under the Government sponsored research programme a cost effective and environmentally acceptable technologies have been developed for recovery of precious metals from printed circuit boards (PCBs) with a capacity of 1000 kg per day and 100 kg/ per batch and also technology for converting majority of E-Waste plastic products to virgin plastic products. These technologies have been transferred for commercialization.

Government has established a Centre of Excellence on E-Waste Management at Hyderabad, jointly with Government of Telangana and participation of industry to develop cost effective recycling solutions for PCBs, lithium ion batteries, magnets, Florescent Lamps for extraction of precious metals and transfer to industries/ start-ups.

(d): The designs of electric and electronic product contain various raw materials for specific functional requirements. Some of them are hazardous. With a view to reduce the use of hazardous substances in the manufacture of Electrical and Electronic Equipment and their components or consumables or parts or spares following limits have been prescribed in the E-Waste (Management) Rules, 2016.

i. Lead (Pb) - 0.1% by weight in homogeneous material
ii. Mercury (Hg)- 0.1% by weight in homogeneous material
iii. Cadmium (Cd) - 0.01% by weight in homogeneous material
iv. Hexavalent chromium ($Cr6+$) - 0.1% by weight in homogeneous material
v. Polybrominated biphenyls (PBB) - 0.1% by weight in homogeneous material
vi. Polybrominated diphenyl ether (PBDE) - 0.1% by weight in homogeneous material

A Government Testing and Certification facility for hazardous raw materials used for electronic products is operational at Centre for Materials for Electronics Technology (C-MET), Hyderabad.

****

Annexure – I

S.No.	SPCBs/PCCs	Action taken
1.	Jammu & Kashmir	Notices have been issued to 22 scrap dealers for checking informal trading, storage, dismantling & recycling of E-Waste.
2.	Kerala	Kerala SPCB has seized 207.5 tonnes of E-Waste from informal operators/sector during drive against illegal operators and got it recycled through authorized recycler.
3.	Delhi	Delhi Pollution Control Committee (DPCC) has reported for the quarter ending 30th September 2020 that for Trans Yamuna area the District Administration under respective Sub-Divisional Magistrates has constituted 9 teams as these areas have large concentration of illegal E-Waste handling units. These teams have inspected 130 premises and found that 31 premises are storing/handling E-Waste and had closed these 31 units and imposed Environmental Compensation (EC) charges. 14 units have deposited the requisite EC and undertook not to carry out illegal activities. For checking informal trading of E-Waste, directions u/s 5 of Environment (Protection) Act 1986 have been issued on 28.05.2019 to all the local bodies/ Delhi Development Authority regarding stoppage of illegal activity of informal trading, dismantling and recycling of E-Waste in their respective areas of jurisdiction. Till 28/09/2020, 124 informal units have been identified and the closures will be carried out only after inventorisation.
4.	Puducherry	Puducherry PCC, reported that it has closed one illegal dismantling and recycling unit.
5.	UP	UP State Pollution Control Board (UPSPCB) reported that one hundred and twenty (120) illegal melting furnace units were found operating in the area around Sewadham, BehtaHazipur, Krishna Vihar of Loni District of Ghaziabad by a joint team of District Administration Ghaziabad, Ghaziabad Development Authority, Ghaziabad Police, Nagar Pallika Parishad, Loni & U.P. Pollution Control Board during November, 2019. All these one hundred and twenty (120) illegal units were dismantled and FIR was lodged against 16 persons and 12 units. UPSPCB further informed that in the Moradabad district, 6.850 tonnes of E-Waste were seized and District Administration sealed 05 illegal godowns. Environmental Compensation of 60 Lakhs has been imposed and closure orders have been issued against 04 illegal E-Waste Processing Units.

In addition to the above five SPCBs/PCCs, twelve other SPCBs/PCCs namely, Andhra Pradesh, Chandigarh, Goa, Gujarat, Himachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Odisha, Tamil Nadu, Telangana, Tripura and West Bengal have reported that they have started the drive against informal recycling and reported that during this period no such activity was found in their States/UTs.

****

भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *110

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2021 को दिया जाना है।

22 माघ, 1942 (शक)

ई-कचरे का प्रबंधन

***110. श्री दिनेश त्रिवेदी** :

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत के अधिकांश ई-कचरे का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र में होता है;

(ख) ई-कचरा कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ई-कचरे के प्रबंधन से जुड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने की दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसा उत्पाद डिजाइन विकसित करने, जो खतरनाक न हो, के लिए कोई निवेश किया है ?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद)

(क) से **(घ)** : एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

ई-कचरे का प्रबंधन के संबंध में दिनांक 11.2.2021 को राज्य सभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न सं. *110 के उत्तर में उल्लिखित विवरण-पत्र

(क) : विषयगत मामला पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) से संबंधित है। ई-कचरे के प्रबंधन को ई-कचरा (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के फ्रेमवर्क और इसमें किए गए संशोधनों के तहत विनियमित किया जाता है। यह नियमावली 01-10-2016 से प्रभावी हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियां (पीसीसी) विनियामक हैं।

सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई-कचरे का पुनर्चक्रण अनौपचारिक क्षेत्र में किया जाता है, जो अवैध है और दण्डनीय अपराध है। अनौपचारिक क्षेत्र में ई-कचरे के प्रसंस्करण को रोकने के लिए नियमित रूप से अभियान चलाने और रिपोर्टें तिमाही रूप से प्राप्त करने के लिए सीपीसीबी ने समय-समय पर एसपीसीबी/पीसीसी को सलाह दी है। एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा टीम का गठन, नोटिस जारी करना, प्रचालन बंद करना, ई-कचरे के अनौपचारिक प्रसंस्करण के खिलाफ ई-कचरे को जब्त करना जैसी कार्रवाई की जा रही है। सत्रह एसपीसीबी/पीसीसी ने वित्त वर्ष 2020-21 (दूसरी तिमाही तक) के दौरान अभियान चलाया है जहां इनमें से बारह ने रिपोर्ट किया है कि इस अवधि के दौरान कोई गतिविधि नहीं पाई गई है और पांच ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। ब्यौरे **अनुबंध- I** में दिए गए हैं।

(ख) : ई-कचरा (प्रबंधन) नियमावली, 2016 उप नियम 12 (2) में श्रमिकों की मान्यता और पंजीकरण और उनके कौशल विकास के लिए प्रावधान है। इसमें ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण में शामिल श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य की निगरानी सुनिश्चित करने का भी प्रावधान है।

ई-कचरे के पर्यावरणीय खतरों पर जागरूकता कार्यक्रम के तहत अनौपचारिक क्षेत्र के लिए एक विशिष्ट प्रशिक्षण मैनुअल (www.greene.gov.in पर उपलब्ध) विकसित किया गया है, जिसमें ई-कचरा श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। सीपीसीबी/एसपीसीबी के साथ देश भर में ई-अपशिष्ट श्रमिकों के लिए कई प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं।

(ग) : नियमों के तहत ई-कचरे का प्रबंधन मुख्य रूप से विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) के सिद्धांत पर आधारित है। ईपीआर के तहत, उक्त नियमों की अनुसूची-I में सूचीबद्ध इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के उत्पादकों को वार्षिक संग्रह के लक्ष्य दिए गए हैं जो सृजन और बिक्री के आधार पर हो सकते हैं, जैसा भी मामला हो और उन्हें रिसाइकलर्स/डिस्मैंटलर्स/प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन (पीआरओ) जैसा भी मामला हो, जैसे उनके प्राधिकृत संगठनों के जरिए ही उनके ई-कचरे का प्रबंधन पर्यावरण की दृष्टि से ठोस रूप में करना है। 1678 उत्पादकों ने ईपीआर अधिप्रमाणन प्राप्त किया है। 44 पीआरओ ने पंजीकरण प्राप्त किया है। ई-कचरे के 407 डिस्मैंटलर्स/रिसाइकलर्स को अधिप्रमाणन प्राप्त है और उनकी वार्षिक प्रसंस्करण क्षमता 110103.22 टन है।

देश में ई-कचरा (प्रबंधन) नियमों, 2016 के प्रवर्तन के लिए एक कार्य योजना लागू है और इसे सभी एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अपने-अपने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। एसपीसीबी/पीसीसी इस प्रयोजन से विकसित एक वेब पोर्टल के माध्यम से कार्य योजना में परिकल्पित किए गए अनुसार तिमाही रिपोर्ट पेश कर रहे हैं।

सरकार द्वारा प्रायोजित अनुसंधान कार्यक्रम के तहत मुद्रित सर्किट बोर्ड (पीसीबी) से 1000 किलोग्राम प्रति दिन और 100 किलोग्राम प्रति बैच की क्षमता के साथ कीमती धातुओं की रिकवरी के लिए एक प्रभावी और पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य प्रौद्योगिकियां विकसित की गई है और अधिकांश ई-कचरा प्लास्टिक उत्पादों को वर्जिन प्लास्टिक उत्पादों में बदलने के लिए भी प्रौद्योगिकी विकसित की गई है। इन प्रौद्योगिकियों को व्यावसायीकरण के लिए हस्तांतरित कर दिया गया है।

सरकार ने पीसीबी, लिथियम आयन बैटरी, मैग्नेट, कीमती धातुओं के निष्कर्षण के लिए फ्लोरोसेंट लैंप के लिए किफायती लागत पर पुनर्चक्रण समाधान विकसित करने और उद्योगों/स्टार्ट-अप में स्थानांतरण को हस्तांतरित करने के लिए तेलंगाना सरकार और उद्योग की प्रतिभागिता से संयुक्त रूप से हैदराबाद में ई-कचरा प्रबंधन पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) की स्थापना की है।

(घ) : इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट उत्पाद डिजाइन में विशिष्ट कार्यात्मक आवश्यकताओं के लिए विभिन्न कच्ची सामग्री होती है। उनमें से कुछ खतरनाक हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों या अतिरिक्त पुर्जों के विनिर्माण में खतरनाक पदार्थों के उपयोग को कम करने की दृष्टि से इस तरह के उपकरणों/घटकों या उपभोग्य सामग्रियों या पुर्जों या अतिरिक्त पुर्जों में निम्नलिखित सीमाएँ ई-कचरा (प्रबंधन) नियमावली, 2016 में विनिर्धारित की गई हैं :

i. लीड (पीबी) - सजातीय सामग्री में वजन से 0.1%
ii. पारा (एचजी) - सजातीय सामग्री में वजन से 0.1%
iii. कैडमियम (सीडी) - सजातीय सामग्री में वजन से 0.01%
iv. हेक्सावलेंट क्रोमियम (सीआर6+) - सजातीय सामग्री में वजन से 0.1%
v. पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफिनाइल्स (पीबीबी) - सजातीय सामग्री में वजन से 0.1%
vi. पॉलीब्रोमिनेटेड डिफिनाइल ईथर (पीबीडीई) - सजातीय सामग्री में वजन से 0.1%

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए उपयोग की जाने वाली खतरनाक कच्ची सामग्री के लिए इलेक्ट्रॉनिकी सामग्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सी-मेट), हैदराबाद में एक सरकारी परीक्षण और प्रमाणन सुविधा चालू है।

****

अनुबंध– I

क्र.सं.	एसपीसीबी/पीसीसी	की गई कार्रवाई
1.	जम्मू और कश्मीर	ई-कचरे के अनौपचारिक व्यापार, भंडारण, निराकरण और पुनर्चक्रण को रोकने के लिए 22 स्क्रैप डीलरों को नोटिस जारी किए गए हैं।
2.	केरल	केरल एसपीसीबी ने अवैध ऑपरेटरों के खिलाफ अभियान के दौरान अनौपचारिक ऑपरेटरों/क्षेत्र से 207.5 टन ई-कचरा जब्त किया है और इसका प्राधिकृत रिसाइकलर के माध्यम से पुनर्चक्रण किया गया है।
3.	दिल्ली	दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 30 सितम्बर, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रिपोर्ट की है कि यमुना पार क्षेत्र के लिए संबंधित एसडीएम के तहत जिला प्रशासन ने 9 टीमों का गठन किया है क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में अवैध ई-कचरा हैंडलिंग इकाइयां हैं। इन टीमों ने 130 परिसरों का निरीक्षण किया और पाया कि 31 परिसर ई-कचरे का भंडारण/संचालन कर रहे हैं और इन 31 इकाइयों को बंद कर दिया गया है और पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) शुल्क लगाया गया है। 14 इकाइयों ने अपेक्षित ईसी जमा कर दिया है और अवैध गतिविधियां नहीं करने का वचन दिया है। ई-कचरे के अनौपचारिक व्यापार को रोकने के लिए सभी स्थानीय निकायों/दिल्ली विकास प्राधिकरण को उनके क्षेत्राधिकार के संबंधित क्षेत्रों में अनौपचारिक व्यापार की अवैध गतिविधि, ई-कचरे के निराकरण और पुनर्चक्रण को रोकने के लिए 28.05.2019 को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। 28.9.2020 तक 124 अनौपचारिक इकाइयों की पहचान की गई है और सूची बनाने के बाद ही इन्हें बंद किया जाएगा।
4.	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीसीसी ने रिपोर्ट किया उसने एक अवैध निराकरण और पुनर्चक्रण इकाई को बंद कर दिया है।
5.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीएसपीसीबी) ने रिपोर्ट किया है कि नवम्बर, 2019 के दौरान जिला प्रशासन गाजियाबाद, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद पुलिस, नगर पालिका परिषद, लोनी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम द्वारा सेवाधाम, बेहताहजीपुर, गाजियाबाद के लोनी जिले के कृष्ण विहार के आसपास के क्षेत्र में एक सौ बीस (120) अवैध मेल्टिंग फर्नेस इकाइयां कार्य कर रही हैं। इन सभी एक सौ बीस (120) अवैध इकाइयों को नष्ट कर दिया गया और 16 व्यक्तियों और 12 इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। यूपीएसपीसीबी ने आगे बताया कि मुरादाबाद जिले में 6.850 टन ई-कचरा जब्त किया गया और जिला प्रशासन ने 05 अवैध गोदामों को सील कर दिया। 60 लाख रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति लगाई गई है और 04 अवैध ई-कचरा प्रसंस्करण इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं।

उपरोक्त पांच एसपीसीबी/पीसीसी के अलावा, बारह अन्य एसपीसीबी/पीसीसी अर्थात् आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अनौपचारिक पुनर्चक्रण के खिलाफ अभियान चलाया है और सूचित किया है कि इस अवधि के दौरान उनके राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में ऐसी कोई गतिविधि नहीं पाई गई है।

*****

MR. CHAIRMAN: Q. NO. 110.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, first of all, I would like to thank the hon. Minister for a detailed answer. As you are aware, modern times have modern problems, whether it is the space debris or e-waste. In India, about 90 per cent of the e-waste is processed through unauthorised sector. At the moment, India has about 407 authorised processing centres. I know the work is in progress. My question is: What are your plans and how long would it take to increase these authorised processing centres?

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, I appreciate his comments about the detailed reply I have given. Let me convey to this House that e-waste has two components. One is informal handling by people in a manner not very responsible. The other e-waste is something which emanates in the manufacturing process. Through the State Pollution Board and the National Pollution Board, the Ministry of Information Technology coordinates so that action is taken on both the grounds. On the informal sector, what action we have taken, I have already explained in Annexure-I. That is a work in progress which we monitor; the Pollution Control Board monitors skilling etc. FIRs have been lodged and people have been arrested. As regards manufacturing, we have told the manufacturing system to have a proper mechanism in dismantler, have authorised representative; we get them certificates, etc. That is also going on. But, lastly, I must also flag to this House, with great respect, that India is emerging as a big digital power. We want to make India a big hub of electronic manufacturing globally. In mobile, we have done so well. We will have to have a proper balance so that our manufacturing prowess does not get diminished while emphasizing the need for e-waste management.

MR. CHAIRMAN: Second supplementary.

SHRI DINESH TRIVEDI: Sir, I am fully in agreement with the hon. Minister. But,...

MR. CHAIRMAN: Once you agree, then, how can there be a question again? ..(*Interruptions*)..

SHRI DINESH TRIVEDI: Supplementary, Sir, and giving him an opportunity to answer. Sir, जो बच्चे हैं, वे ragpickers हैं, and there are health issues involved. The hon. Prime Minister yesterday mentioned, and it was very impressive, that India has youth and the best talent in the world. I have no doubt about it. Would the Minister consider making this informal sector into a formal? I want to know whether he would consider that because they already know the job; they can get employment and India can also show the way to the world at large.

SHRI RAVI SHANKAR PRASAD: Sir, it is a suggestion for contemplation and possible action with two *caveats*. Safety and security have to be there. We are promoting

the skilling part in a big way. We will further take this suggestion on the ground. The State Governments have to play a role, but there should be no compromise on safety relating to hazardous waste. That we will have to keep in mind.

10.00 A.M.

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि in his detailed reply, he has mentioned about taking action against illegal processors. Under Section 21, there is a provision for 'liable to pay financial penalty for any violation of the provisions', and under Section 14, there is a power to suspend or cancel an authorization but it has failed to comply with any of the conditions. So, I would like to know from the Minister how many penalties have been collected and how many actions have been taken to suspend or to cancel the authorization.

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, अगर माननीय सदस्य मेरे उत्तर के पैराग्राफ 'सी' की ओर ध्यान देंगे, तो manufacturing sector में इस दिशा में जो कार्रवाई हुई है, उसके बारे में पूरे कितने टन का dismantling process आरम्भ हो गया है, यह विस्तार से दिया हुआ है। अगर आप Annexure-I देखेंगे, तो विभिन्न प्रदेशों में informal sector में कितनी FIRs हुई हैं, बाकी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, उसका विस्तार से ज़िक्र किया हुआ है। जहाँ तक उन्होंने penalty के बारे में एक विशेष प्रश्न किया है, मैं इसके details प्राप्त करके उनको बता दूँगा। श्री राजीव सातव। ...**(व्यवधान)**...

SHRI SUSHIL KUMAR MODI: Sir, my question was regarding ...

श्री सभापति : आपका प्रश्न हो गया है, supplementary के ऊपर supplementary नहीं हो सकता है। श्री राजीव सातव।

श्री राजीव सातव : सभापति महोदय, यह बहुत important सवाल है। मंत्री जी ने यहाँ पर जो जवाब दिया है, इसमें स्पष्ट दिखता है कि Central Pollution Control Board की तरफ से जो guidelines जा रही हैं, State Pollution Control Board की तरफ से उन guidelines का पूरी तरह से पालन नहीं हो रहा है। आपने इसमें कहा है कि 17 Pollution Control Boards ने यह drive किया है और 12 Pollution Control Boards को कुछ नहीं मिला है।

श्री सभापति : आपका सवाल क्या है?

श्री राजीव सातव : सर, इसमें सवाल इतना ही है कि क्या सरकार e-waste management में और strict provisions लाने के बारे में सोच रही है, क्योंकि जो काम होना चाहिए, वह काम अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है?

श्री रवि शंकर प्रसाद : सर, मैंने कल ही इस प्रश्न की तैयारी के समय इस पर बैठक की थी। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूँगा कि हम कल ही इस दिशा में निर्देश दे चुके हैं कि हमारे IT विभाग को, Environment Protection Department को और Pollution Control Board को मिल कर बहुत प्रभावी तरीके से काम करना है। मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा।

सर, मेरे पास अभी यह खबर आ गई है, जैसा मैंने कहा था कि U.P. Pollution Control Board ने 60 लाख रुपए का fine लगाया है, यह मैं आपको बताना चाहता हूँ।

श्री सभापति : प्रश्न संख्या 111.